कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक: /165/आउशि/शा–5'अ'/2022 भोपाल, दिनांक /10/2022

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय– सत्र 2022–23 के लिये स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण हेतु महाविद्यालय के लिए निर्धारित तिथि में वृद्वि करने बाबत।

संदर्भ– (1) मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का आदेश कमांक 330/46/सीसी/2022/अड़तीस, भोपाल, दिनांक 12.05.2022
(2) कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1025/165/आउशि/शा–5'अ'/2022, भोपाल दिनांक 25.07.2022
(3) कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1159/165/आउशि/शा–5'अ'/2022, भोपाल दिनांक 02.09.2022
(4) कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1247/165/आउशि/शा–5'अ'/2022, भोपाल दिनांक 30.09.2022

---0---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश की कंडिका 18 के बिन्दु कमांक 18.1, 18.1.1, 18.1.2, 18.2 एवं 18.3 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

कंडिका 18 के अनुसार समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के प्रवेश नवीनीकरण का कार्य संबंधित पाठ्यक्रम के परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस की समय–सीमा में ऑनलाईन ई–प्रवेश पोर्टल के माध्यम से सम्पादित किये जाने के निर्देश है।

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1247–1248/आउशि/शा–5'अ'/2022, भोपाल दिनांक 30.09.2022 के द्वारा नवीनीकरण हेतु प्रमोट करने की अंतिम तिथि दिनांक 15.10.2022 निर्धारित की गई है।

अतः स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण हेतु प्रमोट करने की निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 15.10.2022 में वृद्वि करते हुए दिनांक 31.10.2022 निर्धारित की जाती है। शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

(अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ0 धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल

पृ. कमांक: /165/आउशि/शा.–5'अ'/2022 भोपाल, दिनांक /10/2022
प्रतिलिपि–

कार्यालय, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा ग्वालियर–चम्बल संभाग, ग्वालियर कस्तूरबा चौराहा कम्पू लश्कर ग्वालियर म.प्र.

पृ. कमांक 2012 /क्षे. का./उ.शि./विविध/2022 ग्वालियर, दिनांक 19-10-22

प्रतिलिपि:–समस्त, अग्रणी प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय ग्वालियर, चम्बल–संभाग की ओर उक्त पत्र की प्रति भेजकर लेख है कि पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 एम. आर. कौशल)
अतिरिक्त संचालक
उच्चशिक्षा,ग्वालियर–चम्बलसंभाग